U.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE (MAIN) 2018
(Part III)
Law-II (Procedure and Evidence) / विधि-II (प्रक्रिया एवं साक्ष्य)

Time – 3 Hours **Markes - 200**

1. Discuss the provisions in Code of Criminal Procedure, 1973 relating to "power to examine the accused" and "accused person to be competent witness".
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में "अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति" और "अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना" से सम्बन्धित उपबन्धों की विवेचना कीजिये।
[15]

2. At the instance of accused 'A', the Investigating Agency recovers a bloodstained sharp-edged weapon. The weapon aforesaid is sent to the Forensic Science Laboratory by the Investigating Agency for examination of the blood stains available on it. A report given by the Director of the Forensic Science Laboratory is placed on record by the Investigating Agency and is marked as Exhibit 'K'. Whether such report may be used as evidence ? Support the answer by referring relevant provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973.
अभियुक्त 'A' की निशानदेही पर विवेचना अभिकरण एक रक्तरजित धारदार हथियार बरामद करता है। उपरोक्त हथियार को इस पर मौजूद रक्त के धब्बों के परीक्षण हेतु विवेचना अभिकरण द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा दी गयी एक रिपोर्ट को विवेचना अभिकरण द्वारा अभिलेख में रखा जाता है और इस पर प्रदर्श 'K' डाला जाता है। क्या ऐसी रिपोर्ट को साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता हैं ? उत्तर को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के सुसंगत उपबन्धों को संदर्भित करते हुए समर्थित कीजिये।
[15]

3. On basis of a police report submitted by the prosecution, a charge for commission of offence under Section 302 Indian Penal Code is framed against accused 'A'. On denial of the charge, the accused is subjected to trial as desired by him. During the course of the trial, the prosecution witness 'Z' states that during the course of commission of crime, the weapon of offence was supplied to accused 'A' by a person, namely, 'B'. While doing so, 'B' instigated accused 'A' to commit the crime. What power is available to the trial Court to proceed against 'B' who appears to be guilty of offence?
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत एक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त 'A' के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए आरोप विरचित किया जाता है। आरोप से इन्कार करने पर अभियुक्त उसके द्वारा यथा अपेक्षित विचारण के अधीन है। विचारण के दौरान अभियोजन साक्षी 'Z' कथन करता है कि अपराध कारित करने के दौरान आला अपराध 'B' नामक एक व्यक्ति द्वारा अभियुक्त 'A' को उपलब्ध कराया गया था। ऐसा करते हुए अभियुक्त 'A' को 'B' ने अपराध करने के लिए उकसाया। अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले 'B' के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए विचारण न्यायालय को कौन सी शक्ति प्राप्त है?
[15]

4. Explain the provisions relating to notice of appearance before Police officer and procedure of arrest and duty of a police officer while making arrest?
पुलिस अधिकारी के समक्ष उपसंजात होने की नोटिस और गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तारी करने के दौरान पुलिस अधिकारी के कर्तव्य से सम्बन्धित उपबन्धों को स्पष्ट कीजिए।
[8]

5. 'A', an accused, for committing an offence punishable under Section 302 Indian Penal Code, while meeting with adverse and incriminating circumstances in prosecution evidence states that whatever act was done by him that was due to a reason of unsoundness of mind and he was not knowing nature of the act so committed. The burden to prove the exception as pleaded is on whom? Support the answer with relevant provisions of the Indian Evidence Act, 1872.
'A', भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त, अभियोजन साक्ष्य में प्रतिकूल और दोषी ठहराने वाली परिस्थितियाँ मिलने पर कहता है कि जो भी कृत्य उसके द्वारा किया गया वह चित्त-विकृति के कारण था और वह ऐसे कारित किये गये कृत्य की प्रकृति नहीं जानता था। अभिवचन किये गये अपवाद को सिद्ध करने का भार किस पर है ? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सुसंगत उपबधों के साथ उत्तर को समर्थित कीजिये।
[10]

6. Explain the provision relating to burden of proving fact especially within knowledge as prescribed under the Indian Evidence Act, 1872.
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत यथा विहीत विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार से सम्बन्धित उपबंध को स्पष्ट कीजिये।
[6]

7. Discuss the provision relating to birth during marriage, conclusive proof of legitimacy as prescribed under the Indian Evidence Act, 1872.

Scan this QR Code to Linking Laws BIOs
www.LinkingLaws.com
Linking Laws Tansukh Sir
Get Subscription Now
Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत यथा विहीत विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है. से सम्बन्धित उपबंध की विवेचना कीजिये।

[6]

8. Discuss the provision of Indian Evidence Act, 1872 relating to facts of which Court must take judicial notice.
वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी, से सम्बन्धित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबंध की विवेचना कीजिये।

[10]

9. Discuss the provision relating to admissibility of electronic records in evidence as prescribed under the Indian Evidence Act, 1872.
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत यथा विहीत साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से सम्बन्धित उपबंध की विवेचना कीजिये।

[10]

10. 'A' has preferred a civil suit before the Court of Civil Judge, challenging an order dismissing him from service as a consequence to disciplinary action. An application is preferred by the employer 'B' as per provisions of Order VII Rule 11 of Civil Procedure Code, 1908 for rejection of plaint on the count that the same is barred by law. In light of above, draw :
'A' अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप उसे बर्खास्त किये जाने के आदेश को चुनौती देते हुए सिविल न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष एक सिविल वाद लाता है। नियोक्ता 'B' द्वारा इस आधार पर वादपत्र को नामंजूर करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11 के उपबंधों के अनुसार आवेदन करता है कि यह वाद-पत्र विधि द्वारा वर्जित है। उपरोक्त के आलोक में, लिखिए :

(a) An application as per the provisions of Order VII Rule 11 Code of Civil Procedure, 1908 on behalf of 'B'.
'B' की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के उपबंधों के अनुसार एक आवेदन।

[10]

(b) An order accepting the application aforesaid.
उपरोक्त आवेदन को स्वीकृत करने का आदेश।

[10]

11. 'X' has given a sum of Rs. 50,000/- to 'Y' as loan through a cheque after executing a deed dated 01.01.2018 in that regard. As per the conditions of the deed, the loan amount was to be returned by 'Y' to 'X' in one installment in the month of January, 2019. 'Y' failed to repay the loan amount in the month of January, 2019. 'X' desires to institute a summary suit for recovery of money advanced to 'Y'.
Draw a plaint on behalf of 'X' to institute a suit as per provisions of Order XXXVII of the Civil Procedure Code, 1908.
'X' ने 'Y' को ऋण के रूप में 50.000/- रूपये की धनराशि चेक के माध्यम से इस सम्बन्ध में एक विलेख दिनांकित 01.01.2018 को निष्पादित करने के पश्चात् दी है। विलेख की शर्तों के अनुसार, ऋण की धनराशि 'X' को जनवरी, 2019 में एक किस्त में 'Y' द्वारा वापस की जानी थी। 'Y' जनवरी, 2019 में ऋण की धनराशि अदा करने में असफल रहा। 'Y' को दिये गये धन की वसूली के लिये 'X' संक्षिप्त वाद संस्थित करने की वाछा करता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 37 के उपबंधों के अनुसार 'X' की ओर से वाद संस्थित करने के लिए वादपत्र तैयार कीजिये।

[15]

12. Discuss the provisions relating to the property liable to attachment and sale in execution of decree.
डिक्री के निष्पादन में कुर्की और विक्रय के दायित्व के अधीन सम्पत्ति से सम्बन्धित उपबंधों की विवेचना कीजिये।

[15]

13. In a suit, a plaintiff seeks a money decree for breach of contract and damages. The Court holds that the plaintiff is entitled to money decree but the claim for damages is frivolous and vexatious. The Court decides to impose cost on plaintiff for claiming frivolous and vexatious damages. Draw an order in this regard by imagining relevant facts at your own.
एक वाद में, कोई वादी संविदा के भंग और नुकसानी के लिए धन की डिक्री माँगता है न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि वादी धन की डिक्री के लिए हकदार है. किन्तु नुकसानी के लिए दावा तुच्छ एवं तंग करने वाला है। न्यायालय तुच्छ और तंग करने वाली नुकसानी का दावा करने हेतु वादी पर खर्च अधिरोपित करने का विनिश्चय करता है।
सुसंगत तथ्यों की स्वतः परिकल्पना करते हुए इस सम्बन्ध में आदेश लिखिये।

[15]

14. Write a short note on following
निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी लिखिये :

(a) Law relating to "Public nuisance" under Section 133 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133 के अन्तर्गत "लोक अपदूषण (न्यूसेन्स)" से सम्बन्धित विधि।

Scan this QR Code to Linking Laws BIOs
www.LinkingLaws.com
Linking Laws Tansukh Sir
Get Subscription Now
Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

(b) Power of Court during course of any inquiry or trial of an offence to proceed against other person appearing to be guilty of the offence.
किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु न्यायालय की शक्ति।

[10]

(c) Contents of charge under the Code of Criminal Procedure, 1973.
दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 के अन्तर्गत आरोप की अन्तर्वस्तु।

[10]

(d) Report of Police Officer on completion of investigation.
विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस अधिकारी की आख्या।

[10]

Scan this QR Code to Linking Laws BIOs
www.LinkingLaws.com
Linking Laws Tansukh Sir
Get Subscription Now
Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)